निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/SE-149/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2019 से 28.02.2019 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.10.2017 से 08.11.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - जनपद चम्पावत, उत्तराखण्ड
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	3974.33
2016-17	3764.21
2017-18	4510.69

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	51.39	49.60	-	1.79
2016-17	-	-	-	-	58.91	52.90	-	6.01
2017-18	-	-	-	-	83.39	77.70	-	5.69

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव (आबकारी) - आबकारी आयुक्त - अपर आबकारी आयुक्त - वित्त नियंत्रक - संयुक्त आबकारी आयुक्त - उप आबकारी आयुक्त - सहायक आबकारी आयुक्त - आबकारी निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 06/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-1: आवदेन पत्र की बिक्री पर वैट कर न वसूल किये जाने से राजस्व क्षति `12.31 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-2 के अनुसार व्यौहारी (Dealer) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोबार के प्रयोजन के लिये या उसके सम्बन्ध में नगद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये माल का क्रय, विक्रय का कारोबार करता है। इस अधिनियम की धारा-42 के अनुसार विक्रय की मत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिये प्राप्त की गयी है या प्राप्य है। इसी अधिनियम की धारा-4(2)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है।

उत्तराखण्डशासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 260/ XXIII/ 2017/ 04(01)/ 2017 देहरादून दिनांक 19.05.2017 के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा की दुकान हेतु` 25,000/-, मिश्रित मदिरा की दुकान हेतु ₹25,000/- एवं देशी मदिरा हेतु` 22,000/- आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित किया गया, था जो वापसी योग्य (Non Refundable) नहीं था।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत के वर्ष 2017-18 की दुकानों के व्यवस्थापन पत्रावली की जांच में पाया गया कि देशी, विदेशी, मिश्रित मदिरा की दुकानों हेतु कुल 373 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ एवं प्रति आवेदन पत्र शुल्क क्रमशः 68 x 22,000 = 14,96,000, 213 x 25,000 = 53,25,000, 92 x 25,000 = 23,00,000 की दर से कुल आवेदन पत्र शुल्क रू 91,21,000/- को लेखाशीर्ष "0039 राज्य उत्पादन शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियां, 05-आवेदन शुल्क" मद में जमा किया गया था। उक्त के अनुसार आवेदनपत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि ₹ 91,21,000/- पर 13.5% की दर से ₹12,31,335/- कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो कि विभाग द्वारा जमा नहीं किया

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि वर्ष 2017-18 की आबकारी नीति उत्तराखंड मे वैट कर लिए जाने का प्रावधान नही किया गया था इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धितकर अधिनियम, 2005 उपर्युक्त नियमो मे प्रावधान के अनुसार वैट कर लिया जाना था, जो कि नही लिए जाने के कारण ₹ 12.31 लाख की राजस्व कमी पायी गयी थी । अतः प्रकरण शासन/ उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-2 लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त किया जाना `2.65 करोड़।

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग संख्याः 260/XXIII/2017/04(01) 2017 देहरादून दिनांक 19.05.2017 के अनुसार, आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नियम 1 में मदिरा दुकानों के कुल राजस्व का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार चम्पावत जिले के लिये वर्ष 2017-18 के लिये ` 41 करोड़ निर्धारित किया गया था । जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह अप्रैल, मई में दुकानों का व्यवस्थापन दैनिक आधार पर किया गया, जिसमें ` 2,44,79,901 का राजस्व प्राप्त किया गया था तथा जून, 2017 से मार्च, 2018 तक दुकानों के व्यवस्थापन से ` 35,89,91,500 का राजस्व प्राप्त किया गया । कुल राजस्व ` 38,34,71,401 प्राप्त था । जो निर्धारित राजस्व से ` 3,65,28,599 कम प्राप्त किया गया था । इस प्रकार, राजस्व कम प्राप्त होने से ` 2.65 करोड़ की राजस्व कम प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में देशी मदिरा दुकान चम्पावत एवं देशी मदिरा दुकान लोहाघाट को उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 350/XXIII/2017/17(05) 2013 TC-1 देहरादून दिनांक 28.06.2017 के क्रम में उक्त देशी मदिरा दुकानों को नियमानुसार 40 प्रतिशत से अधिक में नेगोशिएशन के आधार पर व्यवस्थापन किया गया था । आदेश संलग्न है ।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जिले के सम्पूर्ण राजस्व को अधिसूचना में उल्लिखित राजस्व ` 41 करोड़ से कम किये जाने का कोई आदेश उपलब्ध नहीं था तथा अधिसूचना के नियम 1 में स्पष्ट किया गया था कि राजस्व सम्पूर्ण जिलों हेतु दुकानों के व्यवस्थापन का राजस्व होगा । जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की सहमति से राजस्व का निर्धारण कर लक्ष्य प्राप्त किया जाना था तथा निर्धारित दुकानों के राजस्व में जिले में नयी दुकानों का सृजन भी कर सकता था । पुनः चम्पावत एवं लोहाघाट देशी दुकानों का राजस्व वर्ष 2016-17 के प्राप्त राजस्व वर्ष 2016-17 में देशी मदिरा दुकान चम्पावत का राजस्व ` 4,37,27,078 एवं देशी मदिरा दुकान लोहाघाट का राजस्व ` 4,61,94,624 था । जबकि वर्ष 2017-18 में देशी मदिरा दुकान चम्पावत का राजस्व ` 3,23,82,382 और देशी मदिरा दुकान लोहाघाट का राजस्व ` 3,54,16,292 निर्धारित किया गया । पूर्व वर्ष से कम

राजस्व निर्धारण करने के पश्चात् भी वर्ष 2017-18 में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी एवं ` 3.65 करोड़ के राजस्व की हानि हुयी ।

अतः ` 2.65 करोड़ के राजस्व लक्ष्य न प्राप्त किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-3 आबकारी निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षक/आबकारी सिपाही को बिना कारतूस के रिवॉल्वर/बंदूक उपलब्ध कराया जाना ।

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड, देहरादून के पत्र सं 7203-209/अधि॰एक॰-162 बी/आर्म्स क्रय-आबटन/2011-12 दिनांक 03-08-2014 एवं आदेश संख्या 10951/अधि॰एक॰ दिनांक 15-12-14 के अनुसार चंपावत ज़िले को एक रिवॉल्वर संख्या 032(10 F मेक R-1378) एवं दो बंदूक (12 बोर पम्प एक्शन गन) उपलब्ध कराया गया था परंतु आबकारी निरीक्षक, उप आबकारी निरीक्षक, आबकारी सिपाही को रिवॉल्वर एवं बंदूक उपलब्ध तो कराया गया परंतु कारतूस नही उपलब्ध कराई गयी थी और उनका लेखा परीक्षा तिथि तक परीक्षण भी नही किया गया था।

आबकारी आयुक्त उत्तराखंड, देहरादून के पत्र सं 7246/एक -02 बी/आर्म्स क्रय/कारतूस क्रय दिनांक 15-09-2017 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप अपने अपने जनपदों मे आवंटित बंदूकों एवं रिवॉल्वर की आवश्यकता के अनुसार कारतूस क्रय पर होने वाले व्यय का भुगतान मानक मद -42 अन्य व्यय करना सुनिशित करें परंतु वर्ष 2017-18 आवंटित बजट मे मानक मद 42 अन्य व्यय मे कोई धनराशि आवंटित नही की गयी थी ।

आबकारी विभाग द्वारा बिना कारतूस के रिवॉल्वर एवं बंदूक आबकारी निरीक्षक, उप आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी सिपाहियों को उपलब्ध कराये जाने का क्या औचित्य है जिससे उनकी सुरक्षा ही खतरे मे हो जाए

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि बंदूक एवं रिवॉल्वर हेतु कोई कारतूस क्रय नही किया गया है, अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-4 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाना ₹ 0.33 लाख ।

इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 33 के अनुसार, विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है, उसे जब्त करेगा । पुनः अनुसूची एक खा 12-क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक ` 1,000/- या उसके भाग के लिये पांच रूपये परन्तु शुल्क ₹ 10,000/- से अधिक नहीं होगा ।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के विदेशी मदिरा, देशी मदिरा एवं मिश्रित मदिरा के फुटकर लाईसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 **(संलग्न विवरण)** के अनुसार लाईसेन्स धारक द्वारा जो बैंक गारण्टी जमा की गयी, उस पर स्टाम्प शुल्क कम अदा किया गया था, जिसके कारण ₹ 32,840 कम स्टाम्प की कमी पायी गयी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुये बताया गया कि बैंक गारण्टी में कम स्टाम्प शुल्क हेतु अनुज्ञापियों एवं सम्बन्धित बैंकों को पत्र प्रेषित कर स्टाम्प वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

अतः ₹ 0.33 लाख कम स्टाम्प शुल्क लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्न विवरण"

क्रम सं0	दुकान का नाम/दुकान का प्रकार	बैंक गारण्टी की धनराशि (रू)	देय स्टाम्प शुल्क (रू)	दिया गया स्टाम्प शुल्क(रू)	कम अदा किया गया स्टाम्प शुल्क (रू)
1.	चम्पावत (विदेशी मदिरा)	33,12,000	10,000	100	9,900
2.	देवीधूरा (विदेशी मदिरा)	10,30,400	5,152	100	5,052
3.	बाराकोट (मिश्रित मदिरा)	18,40,000	9,200	100	9,100
4.	पाती (मिश्रित मदिरा)	17,77,600	8,888	100	8,788
		योग	**33,240**	**400**	**32,840**

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-5 निलम्बित कर्मचारी के विरूद्ध सेवा नियमावली के अनुसार कार्यवाही न किया जाना।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत के अभिलेखों की जांच में पाया कि कनिष्ठ सहायक श्री आलोक डिमरी, दिनांक 01.02.2011 से निलम्बित थे । 8 वर्ष के उपरान्त भी कार्यालय में चार्जशीट अथवा अनुशासनात्मक समिति के समक्ष प्रकरण है अथवा नहीं? इस आशय की जानकारी कार्यालय में नहीं थी । निर्वाह भत्ता का संदाय किया जा रहा था, परन्तु उनकी नियमित उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख सम्बद्ध कार्यालय द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया । उपरोक्त के साथ-साथ लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि दिनांक 01.01.2013 से कर्मचारी को ` 2,000 के ग्रेड पे के अनुसार भुगतान किया जा रहा था, जबकि निलम्बन के समय उसका ग्रेड पे ` 1,900 था । इस प्रकार, निलम्बन अवधि में अनियमित वेतनवृद्धि दी गयी थी । साथ ही, दिनांक 30.12.2013 से 03.01.2014 तक 5 दिवस का उपार्जित अवकाश भी स्वीकृत किया गया था । इस प्रकार, निलम्बित कर्मचारी की पत्रावलियों का सही रखरखाव नहीं पाया और अनियमित निर्वाह भत्ता आहरण बिना उपस्थिति प्रमाणपत्र के आहरित किये जा रहे थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि उक्त सभी बिन्दुओं पर कार्मिक विभाग से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ‘अ’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ब’ प्रस्तर संख्या	STAN
SE-39/2001-02	-	-	
SE-12/2005-06	-	-	
SE-17/2015-16	-	-	
SE-94/2017-18	1	1	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती दीपाली शाह	जिला आबकारी अधिकारी
(ii)	श्री राजेन्द्र लाल शाह	जिला आबकारी अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र